

Rls for Ahimed

AHLMAD

Ahmed

194K  
7/1/87

राजपथ राजपथ  
DELHI ADMINISTRATION: DELHI  
प्रधानी प्रशासन सेवा (SERVICES TO DEPARTMENT)

समर्पण संखा.....  
दिनांक.....

Dated: 6-1-1987

NOTIFICATION

No.P.2(13)/83-S.II :- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No.F.27/59-Him(I) dated the 13th July, 1959, the Administrator of the Union territory of Delhi is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualification in case of appointment to the post of Ahmed in the case of the Labour Commissioner, Delhi.

By order and in the name of the Administrator of the Union territory of Delhi.

(A.K.SINGH)  
DEPUTY SECRETARY (SERVICES)  
DELHI ADMINISTRATION: DELHI.

No.P.2(13)/83-S.II

Dated: 6-1-1987

Copy forwarded for information & necessary action to the:  
 1. Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi.  
 2. Deputy Director (Language), Delhi Administration, Delhi.  
 3. Under Secretary (Law and Judicial), Delhi Administration, Delhi.  
 P.S. to Chief Secretary, Delhi,  
 Public Relations Department, Delhi Administration, Delhi  
 5 duplicates for publication in the Delhi Gazette (Part-IV).  
 5 copies of the Gazette may please be supplied to this department for official use.

(A.K.SINGH)  
DEPUTY SECRETARY (SERVICES)  
DELHI ADMINISTRATION: DELHI.

7/1/87

## ANNEXURE-I

Recruitment Rules For The post of Ahdnaid In the Office of  
Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi.

Name of the post.	No. of posts.	Classification	Scale of Pay.	Whether Selection for direct post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
Ahdnaid	10	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 260-6-290- EB-6-326-8-366- EB-8-390-10-400- (Pre-revised)	Non-Selection (Relaxable for Govt. servants upto 35 years).	18-25 years.	i) Hr. Secondary/Secondary certificate from a recognised Board/University or equivalent.  ii) Speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi Typewriting.
	2	3	4	5	6	7

Whether age & period of Method of recrt. by promotion, whether by direct recrt. or by promotion or by deputation/recrt. will apply in the case of promotees.

whether age & period of Method of recrt. by promotion, whether by direct recrt. or by promotion or by deputation/recrt. In case of recrt. by promotion/ deputation/transf. grades from which promotion/deputation/transf. to be made. exists what is its composition. In making recrt.,

Age : No  
Educational Qualifications: Yes  
Two Years By promotion failing which by direct recrt. 50%  
By direct recrt. 50%

8 9 10 11 12 13  
Promotion  
Group I(DI) employees having 5 years regular service in the grade  
Group II(C)  
D.P.C.  
N.A.

The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other social categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.

Nothing in those rules shall affect reservations and other considerations required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

No male candidate who has more than one wife living or no male candidate who has married a person already having more than one wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator of State may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to a class or category of persons/posts.

The official date "as" determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the official date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchange will be asked to submit the names.

जिग्या सुषष्टु प्रश्नारूप  
दिल्ली प्रश्नासन दिल्ली

दिल्ली प्रश्नासन : दिल्ली ।

१ रोपा - 2 विभाग ॥

दिनांक:- ८-१-१९८७

अधिसूचना

187 संख्या परा २४/१३५/८३-रोपा-२ :- यह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संविधान के ३८८ द्वेष ३०२ के परन्तु द्वारा प्रदत्त शिविताओं का प्रयोग करते हुए संघरण द्वेष दिल्ली के प्रशासक श्रमार्थकायलिय, दिल्ली प्रश्नासन, दिल्ली में अहंभाव के पद पर निर्वित के लिये आवश्यक भती एवं पद्धति तथा योग्यताओं के रासन्ध में इसके साथ राजनीति अनुसूची में नियम बनाते हैं ।

राध राज्य द्वेष दिल्ली के प्रश्नासक के आदेश रोपा तथा उनके नाम पर,

१ अणित कुमार रिहि ॥

उप-सचिव रोपा

दिल्ली प्रश्नासन, दिल्ली ।

संख्या परा २४/१३५/८३-रोपा-२

दिनांक:- ८-१-१९८७

६/१/८७ प्रति स्वपनार्थ संघ आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रिष्ठित :-

१. श्रमार्थ, दिल्ली प्रश्नासन, दिल्ली ।
  २. उप-निदेशक रुभाष्टा, दिल्ली प्रश्नासन, दिल्ली ।
  ३. अपर सचिव रुविधि संघ च्याप्ट, दिल्ली प्रश्नासन, दिल्ली ।
  ४. मुख्य सचिव, दिल्ली के निजी सचिव,
  ५. जन समाज विभाग, दिल्ली प्रश्नासन, दिल्ली को दिल्ली रुभाग-१।
- राजनीति प्रकाशनार्थ दो प्रतिवादी को प्रतिवादी रुभाग-१। युवाओं की पार्टी प्रतिवादी इस कायलिय के प्रयोगार्थ भेजें ।

१ अणित कुमार रिहि ॥

उप-सचिव रोपा

दिल्ली प्रश्नासन, दिल्ली ।

श्रमायुक्त कायलिप, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में  
अहलगद के पद के भर्ती नियम ।

- |  |  |
|--|--|
| १०. पदनाम  | अडलमध  |
| २०. पदों की संख्या   | १० वृद्धारो  |
| ३०. गणिकरण   | ग्रा "ग", अराण्डान्नित, गरिलीपिनशीय  |
| ४०. वेतनमान  | २६०-६-२९०-८००००-६-३२६-८०५७६६८००००-०-३९०-१०-१०० रुपये वृपूर्वी संखोंसंधत  |
| ५०. चयन पद है अथवा कौन चयन पद  | गैर चयन  |
| ६०. सीधी भर्ती द्वारा उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा   | १८ से २५ वर्ष वृसंरक्षारी कर्धारियों के लिए ३५ वर्ष तक प्रिविधीय   |
| ७०. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अधिकारी प्रीक्षिकातथा अन्य योग्यताएँ  | १. मान्यता प्राप्त बोई/प्रिविधीलूप से दायर रीफेन्डरी/रीफेन्डरी प्रमाण पत्र या समवक्ष ।<br>२. अंग्रेजी टेक्निक में ३० शब्द प्रति मिनट या अंग्रेजी उत्तर में २५ शब्द प्रति मिनट की गति । |
| ८०. कथा सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये नियमित आयु तथा योग्यताएँ पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी ।  | आयु - नहीं ।<br>प्रैक्षिक योग्यताएँ - हो ।   |
| ९०. परिवीक्षा की अवधि सदि कोई हो,  | दो वर्ष ।  |
| १००. भर्ती की प्रतिशत, रीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थाना-न्तरण द्वारा तथा विभिन्न प्रदोषियों से मेरे जाने वाले रिवत पदों ला प्रतिशत । | पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर रीधी भर्ती द्वारा : ५० प्रतिशत<br>रीधी भर्ती द्वारा : ५० प्रतिशत  |

- ११० पौर एदोन्नतिश्रुतिनियुक्ति/  
स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी  
हो, तो वे ग्रेड जिनरो पदोन्नति/  
प्रौढ़नियुक्ति/स्थानान्तरण किया  
जाना है। पदोन्नति
- १२० यदि कोई विभागीय पदोन्नति  
समिति हो, तो उसकी संरचना  
क्या है। ग्रुप "ग" विभागीय पदोन्न
- १३० वे परिस्थितिवा जिसमें भर्ती के  
लिये संघ लोक रोजा आयोग का  
परामर्श लिया जाना है।

अनुरूपिता जारी होनगया तित तथा अन्य विषेष वर्गों के व्यक्तिगतीयों के गामले में हीढ़ी भर्ती के लिए आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रगाय पर जारी छिक्स गर सामान्य आदेशों के अनुसार विधिवत्तीय होगी।

- होगी।

२- इन नियमों की जिसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिकारी में राग - राग पर जारी गिर गए गांदपांडे के अनुसार अनुरूपित जातियों और अन्य धैषोड़ कारों के अधिकारी के लिए उपचारिता गिर जाने के लिए अधिकार आरक्षणों और अन्य विधायितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

३- कोई भी युरा या उम्मीदवार जिसकी सक रो गिराकि जीवित परिस्थित है, या कोई भी मीठला उम्मीदवार जिसने ऐसे अविहार रो गिराउ दिया है, जिसकी पहले से जीवित पत्ती है, रीढ़ी भी के पासे दिया है जिसके लिए पात्र नहीं होगा/होगी। परन्तु दिल्ली के नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष प्रशारक द्वारा बात से रांझूट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, जिसी भी ऐसे उम्मीदवार को द्वारा नियम विधायिता रोकूट दे सकेंगे।

४- जहाँ प्रशारक का यह गत हो कि ऐसा करना अंतर्धान अनुसार राजीनीति है तो वह कारणों को अधिकारिता करते हुए आदेश द्वारा अधिकारी/पदों को जिसी श्रेणी या कार्य के साथ-साथ में इन नियमों के अधिकार में से विसी को भी विधित कर राको।

५- इती नियम के कोलम-६ में उल्लिखित आदु रीमा निर्धारित करने के लिए गान्धी तारीख प्रत्येक गामले में भारत में रह रहे ४३०८ लोगों द्वारा दीप राघू और लक्ष्मीप के उम्मीदवारों से भान के य निलोतार दीप राघू और लक्ष्मीप के उम्मीदवारों से भान के उम्मीदवारों से आयेतानों द्वीप प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीखा होगी उम्मीदवारों से आयेतानों द्वीप प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीखा होगी ऐसे पदों के राम्भन्ध में जिनके लिए नियुक्तियाँ रोकार की जाती हैं के लिए गान्धी रीमा निर्धारित करने के लिए गान्धी तारीखा प्रत्येक भागले में वह अन्तिम तारीखा होगी जिस तक रोकायर्लिपों से नाम प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जाता है।

Y Y X X X X X X X X X